International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology
Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099 (www.ijsrset.com)
doi : https://doi.org/10.32628/IJSRSET

ग्रामीण भारत में मनरेगा

भानुप्रकाश भास्कर

प्रवक्ता (अर्थशास्त्र), सर्वोदय इ. का. पियरगाँव, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

ARTICLEINFO

Article History:

Accepted: 10 Jan 2020
Published: 15 Feb 2020

Publication Issue
Volume 7, Issue 1
January-February-2020

Page Number
356-359

ABSTRACT

स्वतंत्रता के बाद से ही सम्पूर्ण देश की ग्रामीण व नगरीय मलि बस्तियों में बसने वाले वंचितो गरीबो विकलांगो महिला और बच्चों जैसे गरीब तबके के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में नई-नई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। सर्वप्रथम डी. आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाओं नारा दियापत्पश्चात् डी.पी.आर. मॉडल पर आधारित पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्म निर्भरता प्राप्त करना था। अस्थिरता आई स दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1977-78) के शुरूआत की गयी 1980 में कांग्रेस के केन्द्र में पुन: सत्तारूढ होने पर कांग्रेस सरकार ने छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) लागू की थी इस पंचवर्षीय योजना में आई.आर.डी.पी सी.ई.आर.पी ट्राईसेम और आर.एल.ई. जी.पी. जैसे ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू किये गये। सन् 1972-73 में संपूर्ण भारत में ग्रामीण 54 प्रतिशत गरीब थे जबकि योजना आयोग की 19 मार्च 2012 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन प्रतिशत के रूप में 20.2 प्रतिशत तक की कमी हुई है जो 33.8 प्रतिशत थी इन 48 वर्षों में गरीबी के प्रतिशत में कमी भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा हुई है ।

2011 में ग्रामीण भारत

1	भारत की कुल जनसंख्या	1210726932
2	ग्रामीण	832980129.21 68.8 प्रतिशत
3	ग्रामीण गरीबी की संख्या	214075893 25.7 प्रतिशत

स्रोत : भारतीय जनगणना 2011

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

ग्रामीण बेरोजगारो को भूख और गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार की 07 सितम्बर 2005 को एक अधिसूचना जारी की, तत्पश्चात इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले मे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। प्रथम चरण में 200 जिलों में लागू किया गया। वर्ष 2007-08 में इस योजना का विस्तार 330 जिलों में कर दिया गया। वर्ष 2008-09 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया।
02 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत रोजगार कार्ड धारक को 100 दिन का काम दिया जाता है। जिसमें गांव में स्थायी परिसंपतियों और बुनियादी संरचना का निर्माण किया जाता है, यदि स्वरोजगारी को 10 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो वह पंचायत को अर्जी देकर काम की मांग कर सकता है यदि 14 दिन के अन्दर पंचायत काम देने में समर्थ नहीं होती है तो स्वरोजगारियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। आज भी ग्रामीण भारत की एक चौथाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, वहीं दूसरी ओर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का सही से क्रियान्वयन न होना भी एक ज्वलन्त समस्या है। वर्ष 2016 में लोक सभा में एक प्रश्न के जवाब में राज्य ग्रामीण विकास मंत्री राम कृपाल यादव द्वारा लिखित उत्तर मनरेगा के सम्बन्ध में बेहद सोचनीय है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मणिपुर में मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 16 दिन, पांण्डिचेरी 17 दिन, गोवा 18 दिन व लक्ष्यद्वीप में 22 दिन जबकि संपूर्ण भारत में औसतन 49 दिन का प्रति व्यक्ति रोजगार दिया गया। यह झलक ग्रामीण गरीबी के सम्बन्ध में एक अच्छा संकेत नहीं है, वहीं विश्व बैंक ने 'पॉवर्टी एण्ड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी' रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया में 2013 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सबसे अधिक संख्या भारत में थी और दुनिया के एक तिहाई गरीब भारत में थे। बतौर रिपोर्ट 2013 में भारत की 30 प्रतिशत आबादी की औसत दैनिक करीब रूपये 125 (1.90) से कम थी। समय पर भुगतान न होना भी मनरेगा स्वरोजगारी के लिए एक गंभीर समस्या है।

वर्ष 2011-12 में कैग (CAG) में कई पंचायतों के रिकॉर्ड की छानबीन की, 47687 मामलों में लाभार्थी को न तो काम मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता इसके अलावा 23 राज्यों में मजदूरी भुगतान में विलम्ब या भुगतान न होने के मामले सामने आये, वहीं दूसरी ओर एक अध्ययन से पता चला है कि उत्तराखण्ड के चमोली जिले के 4 विकासखण्डों में 222 स्वरोजगारियों का अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि सभी स्वरोजगारियों को मजदूरी का भुगतान विलम्ब से हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2014-15 में 73 प्रतिशत मामलों में मनरेगा के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब हुआ है। एक तरफ हमारी सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को क्रियान्वयन करने को लेकर समर्पित रहती है वहीं दूसरी ओर मनरेगा स्वरोजगारियों को समय पर भुगतान न होना हमारे ग्रामीण समाज के विकास के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत किये जाने वाले व्यय में कमी हुई है जो कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक अवरोध है। 17 अगस्त 2015 को प्रकाशित अमर उजाला हिन्दी संस्करण के समंक कुछ इस तरह की व्यथा व्यक्त करते हैं-

मनरेगा के अन्तर्गत व्यय

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**खर्च करोड़ (रूपये में)**
1	**2012-13**	**29778.28**
2	**2012-14**	**38600.60**
3	**2014-15**	**36084.59**

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना विश्व के सबसे बड़े गरीबी उन्मूलन योजनाओं में से एक है जबकि पिछले कुछ वर्षों मे इसके तहत कार्य दिवसों मे लगातार कमी होना विकास के लिए चिन्ता का विषय है।

मनरेगा के अन्तर्गत कार्य दिवस की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	रोजगार (करोड़ दिवस में)
1	2008-09	216
2	2009-10	284
3	2010-11	257
4	2011-12	219
5	2012-13	230
6	2013-14	220
7	2014-15	166
8	2015-16	235
9	2016-17	167 (13 जनवरी 2017 तक)

स्रोत : Employment status. MGNRGA MIS, Available online at:http//164.100.129.6/netnrega

2011 की जनगणना के अनुसार एक चौथाई जनसंख्या ग्रामीण भारत में गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। मनरेगा ग्रामीण गरीबी को दूर करने में अहम भूमिका अदा कर सकती है, यदि हमारी सरकार इसके क्रियान्वयन में कुछ सुधार करे ताकि स्वरोजगारियों के जीवन स्तर में वांछित सुधार किया जा सके।

स्वरोजगारियों के कार्य दिवस में वृद्धि करना- मनरेगा एक कानूनी व्यवस्था है इसके अन्तर्गत स्वरोजगारियों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है जबकि इसके क्रियान्वयन हुए 10 वर्ष हो चुके हैं और आज भी हम स्वरोजगारियों को औसतन 50 दिन का रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं जो कि ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम मनरेगा के क्रियान्वयन में स्वरोजगारियों के कार्य दिवसो में वृद्धि करें ताकि ग्रामीण भारतीयों की क्रय शक्ति में वृद्धि होने के साथ–साथ गरीबी के स्तर में भी कमी आ सके।

भुगतान की समयावधि निश्चित होनी चाहिए- मनरेगा में कार्यरत स्वरोजगारियों को हुए भुगतान का अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि स्वरोजगारियों को भुगतान विलम्ब से हुआ है, जो कि गरीबी उन्मूलन के लिए एक ज्वलन्त समस्या है और आर्थिक विकास में बाधा है। यदि हमें ग्रामीण विकास की गति को तेज करना है तो हमें सभी स्वरोजगारियों का भुगतान समय से करना होगा ताकि वे एक निश्चित समय सीमा में गरीबी रेखा से बाहर निकल सकें और विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें ।

काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहीए- मनरेगा एक कानूनी व्यवस्था है यदि स्वरोजगारियों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। कार्य स्थल पर शारीरिक आंशिक क्षति होने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण कुशल श्रमिकों को भी उचित मजदूरी के साथ काम दिया जाय। मनरेगा के अन्तर्गत केवल अकुशल श्रमिकों को ही काम दिया जाता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई कुशल श्रमिक होते हैं जो काम की तलाश में आज भी घर से मीलों दूर जाते हैं। यदि हमारी सरकारें उक्त ग्रामीण विकास से जुड़ी अवरोधों को दूर करने के प्रति समय रहते हुए जागरूक हों तो हम ग्रामीण समाज में पलायन की समस्या को हल किया

जा सकता है और उनके जीवन स्तर में वांछित सुधार किया जा सकता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में आज हमें आवश्यक है कि हम अपनी मानवीय पूंजी को शिक्षा, स्वास्थ्य व आय के स्रोतों को बदलते परिदृश्य के साथ विकसित करें ताकि वैश्विक श्रमिक बाजार में ग्रामीण श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें, ताकि भारतीय ग्रमीण समाज में उपभोग, आय व बचत का स्तर बढ़ सके जिससे रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने में सहायक हों। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारी सरकारें अधिक दृढ़ संकल्प हों ।

संदर्भ ग्रन्थ

1. भारतीय अर्थव्यवस्था : ओझा, अश्वनी कुमार ।
2. भारतीय जनगणना 2011 ।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ।
4. विश्व बैंक 2013 की रिपोर्ट ।
5. Employment status. MGNREGA MIS. Available online at : http//164.100.129.6/netnrega